

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी- उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 65 / 2021
तारीख दायर : 28.07.2021

अनवान

1. गंगा पुत्री कालिया उर्फ कालू पत्नि चन्द्रा जाति गुर्जर निवासी हाल तिरोली।
2. जमना पुत्री कालिया उर्फ कालू पत्नि सीताराम जाति गुर्जर निवासी हाल माला का खेड़ा।
3. लादू पुत्र कालिया उर्फ कालू गोदपुत्र देवी जाति गुर्जर निवासी आमली।
4. सजना पत्नि हीरा जाति गुर्जर निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।
5. हीरा पुत्र कालिया उर्फ कालू जाति गुर्जर निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कमला पुत्री किसना पत्नि उदा जाति गुर्जर निवासी हाल बड़ाखेड़ा(गंधेरी) तहसील कोटडी।
2. काशीराम पुत्र किसना जाति गुर्जर निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।
3. गोपाल पुत्र किसना जाति गुर्जर निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।
4. जेती उर्फ जेतु पुत्री किसना पत्नि भोजा जाति गुर्जर निवासी चावण्डिया।
5. लादू पुत्र किसना जाति गुर्जर निवासी आमली तहसील माण्डलगढ़।
6. लाडू पुत्री किसना पत्नि रूपा जाति गुर्जर निवासी हाल चावण्डिया तहसील माण्डलगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता प्रार्थीगण)।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:- निर्णय :-

दिनांक : 22.10.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण मूल रूप से ग्राम आमली पंचायत जस्सूजी का खेड़ा तहसील माण्डलगढ़ के निवासी हैं। उनकी खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 115 व 116 मौजा आमली पटवार हल्का जस्सूजी का खेड़ा में स्थित है। जिस पर पहुंचने के लिए प्रार्थीगण सार्वजनिक निर्माण विभाग की बनी सड़क खसरा संख्या 120 में चलते हुए मौजा आमली के खाता संख्या 1 पर दर्ज भूमि खसरा संख्या 119 की दक्षिणी मेर तक पहुँचा जाता है। जहाँ से उत्तरी दिशा में घूमकर खसरा संख्या 119 में चलते हुए खसरा संख्या 118 जो विपक्षीगण क्रमांक 1 से 6 तक के खाते में दर्ज भूमि है उसके दक्षिणी पूर्वी कौने से खसरा संख्या 118 में प्रवेशकर खसरा संख्या 118 की पूर्वी मेर पर होते हुये इसी खसरा संख्या 118 की उत्तरी मेर को पार कर खसरा संख्या 115 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि है में प्रवेश करते हैं। इसी खसरा नम्बर 115 से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में दर्ज भूमि खसरा संख्या 116 में खसरा संख्या 115 से आते जाते हैं। कि खसरा संख्या 119 में रास्ता व 118 में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के लिए 10 फीट चौड़े रास्ते का उपयोग खसरा संख्या 115 की दक्षिणी मेर तक पूरे वर्ष भर करते रहे हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। रास्ते की अति आवश्यकता होने से प्रार्थीगण रास्ता कायम करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण अन्य रास्ता होते हुये अधिक सुविधाजनक रास्ते की मांग हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। प्रार्थीगण विपक्षीगण खातेदारान् को रास्ते के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाली भूमि का मुआवजा राशि भूगतान करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र

अधिकारी

स्वीकार किया जाकर उनके द्वारा खसरा संख्या 118 व 119 मे मांगा गया रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 115 व 116 मे पहुँचने का प्रदान कराया जावे।


बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया।

दिनांक 21.09.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2021/2052 दिनांक 15.09.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थीगण लादू, हीरा, कमला, गंगा, जमना पिता कालिया, बाली पत्नि कालिया, सजना पत्नि हीरा, हीरा पिता कालिया गुर्जर निवासी आमली की खातेदारी भूमि ग्राम आमली पटवार मण्डल जस्सू जी का खेडा की आराजी नम्बर 115 व 116 कीता 2 रकबा 2.2420 हैक्टेयर पर पहुँचने हेतु अप्रार्थीगण की ग्राम आमली की आराजी नम्बर 118 मे 13 फीट चोडे रास्ते हेतु मांग करते हुए आवेदन किया है। प्रार्थीगण की आमली की आराजी नम्बर 115 व 116 कीता 2 रकबा 2.2420 हैक्टेयर मे पहुँचने के लिये अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 118 में 13 फीट चोडे रास्ते हेतु मांग गया है। प्रार्थीगणो द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम है। भूमि पर पहुँचने के लिये प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ते में अप्रार्थी की आराजी नम्बर 118 रकबा 0.6070 हैक्टेयर में से 0.0192 हैक्टेयर भूमि रास्ता उपयोग में प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार 3 बिस्वा भूमि का उपयोग प्रस्तावित रास्ता के लिये होगा जिसकी सूचित भूमि की डी.एल.सी दर 66647 रुपया प्रति बीघा से 9997 रुपया एवं दुगनी दर से 19995 रुपया अप्रार्थी की भूमि का बनता है। पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र के सूचित किया गया। सभी उपस्थित। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मौके पर उपस्थित होकर मौका पर्चा पर हस्ताक्षर किये। संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस मय मौका पर्चा व सूचना पत्र।

दिनांक 22.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प जस्सूजी का खेडा में पेश हुई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 दिनांक 21.09.2021 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। विपक्षी की आराजी नम्बर 118 रकबा 0.6070 हैक्टेयर में से 0.0192 हैक्टेयर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु ली जावेगी। रास्ते हेतु 0.0808 हैक्टेयर भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 66647 रुपया प्रति बीघा से 9997 रुपया दुगनी से 19995 रुपया है, जो सम्पूर्ण विपक्षीगण की खातेदारी में से है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-ए (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(11) के अनुसरण में ग्राम आमली पटवार मण्डल जस्सू जी का खेडा की आराजी नम्बर 115 व 116 कीता 2 रकबा 2.2420 हैक्टेयर पर पहुँचने हेतु अप्रार्थी की आराजी नम्बर 118 रकबा 0.6070 हैक्टेयर में से 0.0192 हैक्टेयर की दक्षिणी पूर्वी मेर पर 13 फीट रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 66647 रुपया प्रति बीघा से 9997 रुपया दुगनी से 19995 रुपया प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443-00-103-00-00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 22.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़